## न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 845/ 2019

1 जोगेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी मिठड़ी तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरियाणा)

2 बलविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी मिठडी तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरियाणा)

3 हरमन्दर सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी मिठडी तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

वादीगण

बनाम

1 गुरमुख सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी मिठडी तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

2 बलवन्त सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी मिठडी तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

3 रूप कौर उर्फ सुखवन्त कौर पुत्री कर्म सिंह पत्नी जगदेव सिंह जाति तरखान निवासी मीठड़ी बुदकर तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब

4 अमरजीत कौर उर्फ कुलवन्त कौर पुत्री कर्मसिंह पत्नी जसवन्त सिंहजाति तरखान निवासी मिठडी बुदकर तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब

5 पालो उर्फ सुखविन्दर कौर पुत्री कर्म सिंह पत्नी गुरनायब सिंह जाति तरखान निवासी रूपनगर तहसील करणपूर जिला श्रीगंगानगर

6 गुडडी उर्फ जसविन्दर कौर पुत्री कर्म सिंह पत्नी नायब सिंह जाति तरखान निवासी रूपनगर तहसील करणपूर जिला श्रीगंगानगर

7 नसीब कौर उर्फ नरेन्द्र कौर पुत्री कर्म सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति तरखान निवासी डबवाली मण्डी तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 12.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 4 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 113/137 प.न. 103/128 मु.न. 39 कि.न 23, 24,25 में 0.759 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 3 ता 5, 7, 8 में 1.265 है. नहरी मय गै.मु. रासता कुल खाता2.024 है.नहरी मय गै.मु. आराजी वादीगण एव प्रतिवादीगण के स्व. पिता कर्मसिह के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 3 के आर डब्लयू जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता सख्या 137/136 प.न. 106/128 मु.न. 60 कि.न. 6,7,14,15,17 में 1.266 है. बारानी, प.न. 107/128 मु.न. 61 कि.न. 9,10,11,12 में 1.012 हे. बारानी कुल खाता 2.277 है.बारानी आराजी में से वादीगण एव प्रतिवादीगण के स्व. पिता कर्म सिंह के नाम 1.139 है. आराजी दर्ज कागजात माल है।नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

उक्त वादाधीन आराजी के अलावा वादीगण एव प्रतिवादीगण के स्व. पिता ने अपने भाई नन्द सिंह केसाथ बंटवारा किया हुआ था एव मुताबिक बंटवारानूसार चक 14 पी टी पी के खाता सखय 13/73 में 2 बीघा आराजी प्राप्त कर रखी थी जो कि जरिये डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 व2 को प्राप्त हो चूकी है एव प्रतिवादी संख्या 1 व2 ही चक 14 पी टी पी की आराजी को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के स्व. पिता ने अपने नाम दर्ज उक्त वादाधीन आराजी एव हरियाणा राज्य के मिठडी गांव में स्थित आराजी का पारिवारिक बंटवारा कर अपने पुत्रों वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व2 को दे दी थी एव रजिस्टर्ड वसीयत वादीगणएव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एव वादीगण की माता के नाम से निष्पादित कर दी थी जो कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता व पिता कर्म सिंह दोनों का देहान्त हो चूका है एव वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 जो कि वादीगण की बहिनें है की शादि में उनके हक हिस्सा को ध्यान में रखते हुये अच्छे घरों मे की थी जिससे खुश होकर प्रतिवादीसंख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा को वादीगण एव प्रतिवादी संखय 1 व 2 के हक में पारिवारिक बंटवारा में छोड़ दिया था एव तत्पश्चात वादीगण के स्व. पिता ने अपने नाम दर्ज तमाम सम्पति की वसीयत निष्पादित की थी एव वादीगण के पिता की मृत्यूपरान्त वादीगण एव प्रतिवादी संख्य 1 व2 अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को पारिवारिक बंटवारा के अनूसार शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आरहे है। फोटो प्रति वसीयत संलग्न वाद पत्र है।वादीगण एव प्रतिवादीगण ने अपने अपने हक हिस्सानूसार दावा की मदसख्या 2 में वर्णित आराजी कापारिवारिक बंटवारा कर रखा है एव मुताबिक बंटवारानूसार अपने अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादीगण के हक हिस्सा में निम्न प्रकार से आराजी प्राप्त हुयी है:-(क) चक 4 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 4 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गे.मु. रासता कुल 0.506 है.नहरी मय गै. मु. रास्ता आराजी वादी संख्या 1 जोगेन्द्र सिंह को प्राप्त हुयी है। चक 4 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2069-2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 7 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है.नहरीआराजी वादी संख्या 2 बलविन्द्र सिंह को प्राप्त हुयी है। चक 4 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खातासंख्या 133/137 प.न. 103/128 मु.न. 39 कि.न. 23 में 0. 253 है. नहरी, प.न. 103/129मु.न. 40 कि.न. 3 मे 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी वादी संख्या 3 हरमन्दर सिंह को प्राप्त हुयी है।(ख)चक 3 के आर डब्लयू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खाता सख्या 137/136 प.न. 106/128 मु.न. 60 कि.न. 6,7,14,15,17 में 1.265 है. बारानी, प.न. 107/128 मु.न. 61 कि.न. 9,10,11,12 में 1.012 हे. बारानी कुल खाता 2.277 है.बारानी आराजी में से स्व. पिता कर्म सिंह के नाम दर्ज 1.139 है. आराजी में से वादीगण संख्या 1 ता3 को ब.हि.ब. 0.684 हे. आराजी प्राप्त हुयी है।(ग) प्रतिवादीसंख्या 1 व2 को चक 4 के आर डब्लयू प.न. 130/128 मु.न. 39 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी मय गै.मु.रास्ता आराजी, चक 3 के आर डब्लयू खाता संख्या 137/136 में स्व. कर्म सिह के नामदर्ज 1.139 है. आराजी में से 0.455 है. आराजी व चक 14 पी टी पी में 0.506 है. आराजी प्राप्त हुयी है।

वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारा एव वसीयत प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कागजात नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कागजात नही होने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्सा की आराजी से हमेशा बेदखल किये जाने का अंदेशा लगा रहता है जिस कारण

खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीगण अपने हक हिस्सा की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पानें मे असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग वादीगण के हक हिस्सा में मुताबिक वसीयत एव पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी का वादीगण को सहमति के आधार पर खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 7.11.2019को वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये बसयही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि (क) यह कि चक 4 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 4 में 0.253 है.नहरी, कि.न. 5 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गे.मु. रासता कुल 0.506 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी का वादी संख्या 1 जोगेन्द्र सिंह को एवं चक 4 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2069–2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 7 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है.नहरीआराजी का वादी संख्या 2 बलविन्द्र सिंह को एवं चक 4 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खातासंख्या 133/137 प.न. 103/128 मु.न. 39 कि.न. 23 में 0.253 है. नहरी, प.न. 103/129मु.न. 40 कि.न. 3 मे 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 3 हरमन्दर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एव उक्त खाता से स्व. कर्मसिंह का नाम कलमजन किया जाकर शेष मु.न. 39 कि.न. 24, 25 की 0.506 हे. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व2 के नाम से दर्ज की जावे।(ख)यह कि चक 3 के आर डब्लयू जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता सख्या 137/136 प.न. 106/128 मु.न. 60 कि.न. 6,7,14,15,17 में 1.265 है. बारानी, प.न. 107/128 मु.न. 61 कि.न. 9,10,11,12 में 1.012 हे. बारानी कुल खाता 2.277 है.बारानी आराजी में से स्व. पिता कर्म सिंह के नाम दर्ज 1.139 है. आराजी में से वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. 0.684 हे. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उकत खाता से स्व. कर्म सिह का नाम कलमजन किया जावे एव शेष 0.455 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नामसे दर्ज कागजात की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के स्व. पिता कर्म सिंह के नाम से दर्ज कागजात माल है जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की विरासतन भूमि है , वादीगण पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक आराजी में खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है एव आराजी वादाधीन का खाता वादीगण व प्रतिवादीगण के स्व. पिता के नाम से अलग कायम है जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा स्व. कर्म सिंह के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की हुयी है व वादीगण का कथन है कि उक्त वसीयत के आधार पर हरियाणा राज्य की सम्पति वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

चूकी है एव वादाधीन आराजी में मुताबिक वसीयत एव पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खातेदारी घोषणा व खाता तकसीम का अनूतोष प्राप्त करना चाहते है जो कि वादीगण के कथनों एव दस्तावेजात के सम्बध में प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर कोई विरोध नही किया है इस प्रकार वादीगण वादाधीन आराजी में विरासतन आराजी में अपना हक हिस्सा कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है एव वादीगण के कथनों व कब्जा काश्त का कोई विरोध नही है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों अभिकथनो व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (क) चक 4 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 4 में 0.253 है.नहरी, कि.न. 5 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता कुल 0.506 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी का वादी संख्या 1 जोगेन्द्र सिंह को एवं चक 4 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2069–2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/129 मु.न. 40 कि.न. 7 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है.नहरी आराजी का वादी संख्या 2 बलविन्द्र सिंह को एवं चक 4 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 133/137 प.न. 103/128 मु.न. 39 कि.न. 23 में 0. 253 है. नहरी, प.न. 103/129मु.न. 40 कि.न. 3 मे 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 3 हरमन्दर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से स्व. कर्मसिंह का नाम कलमजन किया जाता है एवं उकत खाता में शेष बची मु.न. 39 कि.न. 24, 25 की 0.506 हे. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व2 के नाम से ब.हि.ब. दर्ज की जावे। (ख) चक 3 के आर डब्लयू जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता सख्या 137/136 प.न. 106/128 मु.न. 60 कि.न. 6,7,14,15,17 में 1.265 है. बारानी, प.न. 107/128 मु.न. 61 कि.न. 9,10,11,12 में 1.012 हे. बारानी कुल खाता 2.277 है.बारानी आराजी में से स्व. कर्म सिंह के नाम दर्ज 1.139 है. आराजी में से वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. 0.684 हे. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उकत खाता से स्व. कर्म सिह का नाम कलमजन किया जाता है एव शेष बची 0.455 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से ब.हि.ब. दर्ज कागजात की जावे। उक्तानूसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:44:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: